उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-73/2019/1046/92-2-19-10जांच/2013

लखनऊ:: दिनांक:: 16 मई,2019

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,प्रखण्ड-गाजीपुर में पूर्वान्चल विकास निधि (जिलांश) योजनान्तर्गत कतिपय निर्माण कार्य कराये जाने में की गयी अनियमितता हेतु मुख्य प्राविधिक परीक्षक, टी0ए0सी0 की जॉच आख्या दिनांक 09-10-2013 में पर्यवेक्षणीय दायित्वों का भली भांति निर्वहन न करने व शिथिल नियंत्रण हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री सिराजुदद्दीन अहमद, तत्का0 प्रभारी अधिशासी अभियंता, ग्रा0अभि0वि0, प्रखण्ड-गाजीपुर से शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-136/92 (प्रकोष्ठ)/2014-10जांच/2013 दिनांक 10-04-2014 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-10(2) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत की गयी। श्री अहमद के पत्र सं0-687/ग्रा0अ0वि0/2014-15 दिनांक 26-06-2015 द्वारा अपना पक्ष शासन में उपलब्ध कराया गया।

2- अपचारी अधिकारी, श्री सिराजुददीन के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस, अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त श्री सिराजुददीन अहमद, तत्का0 प्रभारी अधिशासी अभियंता पर पर्यवेक्षणीय दायित्वों का निर्वहन ठीक प्रकार से न करना पाये जाने पर उनके विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप दि0 10-04-2014 द्वारा प्रचलित स्पष्टीकरण के प्रकरण को कार्यालय ज्ञाप संख्या-137/2017/881/92-2-17-10जांच/2013 दिनांक 09-08-2017 द्वारा वर्ष 2016-17 के लिये परिनिन्दा का दण्ड देते हुये समाप्त कर दिया गया है।

3- शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 09-08-2017 द्वारा निर्गत दण्डादेश के विरूद्ध अपचारी अधिकारी, श्री सिराजुददीन अहमद के पत्र सं0-1000/ग्रा0अ0वि0/स्था0-1/व्य0प0/अधि0/17-18 दिनांक 12-10-2017 द्वारा प्रत्यावेदन शासन में उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री अहमद द्वारा उल्लिखित तथ्यों व अन्य अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण गाजीपुर के पत्र दिनांक 23-07-2011द्वारा मु0 रू0 8.00 लाख की स्वीकृति सी0सी0 रोड हेतु दी गयी थी जिसमें सुरक्षा दीवार का कोई प्राविधान नही था। तालाब के किनारे बिना विपहोल के सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य किसी अन्य कार्यदायी संस्था द्वारा कराया गया था। अतएव श्री अहमद पर अधिरोपित आरोप स्थापित न पाये जाने के दृष्टिगत उनके विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 09-08-2017 द्वारा निर्गत दण्डादेश को समाप्त/विलोपित किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-73/2019/1046/(1)/92-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ

2- श्री सिराजुददीन अहमद, तत्का0 प्रभारी अधि0अभि0, ग्रा0अभि0वि0, प्रखण्ड-गाजीपुर द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।